A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
67 / प्रा.पत्र / 2020	17.11.2020	28.06.2024

बनवारी आ0 शोजीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। –प्रार्थी

बनाम

1. गंगाबाई पत्नी स्व0 श्री उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम थाना तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
2. कैलाश पुत्र स्व0 श्री उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम थाना तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
3. दयाराम पुत्र स्व0 श्री उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम थाना तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
4. फूलाबाई पुत्री स्व0 श्री उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम थाना तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
5. आवंटन परामर्शदात्री समिति, हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से– श्री महेन्द्र कुमार जैन एड.
अप्रार्थीगण की ओर से– श्री प्रकाश मनु भण्डारी

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 1525 रकबा 01 बीघा वाके ग्राम थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2004 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। उदा का स्वर्गवास हो चुका है अप्रार्थीगण उदा के वारीसान है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस समाअत की गई।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 1525 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम थाना तहसील हिण्डोली का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 21.12.2004 को किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा हैं। पूर्व में प्रार्थी के पिता काबिज रहे, वर्तमान में प्रार्थी काबिज है, प्रार्थी व उसका परिवार भूमिहीन व अनुसूचित जाति के व्यक्ति

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A6/2

और भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपने कब्जे के आधार पर भूमि अपने नाम करवाने की दृष्टि से दिनांक 25.10.2020 को तहसील में जाकर जानकारी की तो पता चला कि उक्त भूमि तो पहले से ही उदा के नाम आवंटन हो रही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने तलाश करके दिनांक 29.10.2020 को आवंटन की नकलों हेतु आवेदन किया। नकल दिनांक 29.10.2020 को प्राप्त हुई जिससे पता चला कि अप्रार्थी संख्या 5 के द्वारा प्रशासन आपके द्वार अभियान के दौरान बिना जानकारी किये तुरत फूरत में मृतक उदा के पक्ष में आवंटन कर दी गई। आवंटन नियमों के अनुसार जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हैं वहां भूमि का आवंटन भूमिहीन व्यक्तियों को वरियता के आधार पर किया जाना चाहिए परन्तु अप्रार्थी भूमिहीन नहीं था, अप्रार्थी के नाम अन्य भूमि भी है। आवंटि द्वारा आवंटन के समय भी सही तथ्यों को छिपाकर जमीन आवंटित करवाई है। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटि का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं ओर न ही आवंटि के वारीसान का कभी कब्जाकाश्त रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी को भौतिक कब्जा नहीं दिलाया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2004 को खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि उदा आ0 रूपा गुर्जर को आराजी खसरा संख्या 1525 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम थाना तहसील हिण्डोली का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 21.12.2004 को किया गया था। उदा का स्वर्गवास हो चुका है अप्रार्थीगण उदा के वारीसान है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा जो तथ्य आवेदन में अंकित किये गए है उनसे कोई आपत्ति नहीं है विवादीत भूमि पर अप्रार्थीगण या उनके पिता स्व0 उदा का कब्जाकाश्त नही रहा है व आवंटन निरस्त कर दिया जाये तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। यदि भविष्य में कब्जे के आधार पर विवादित भूमि का आंवटन प्रार्थी के पक्ष में हो जाये तो भी अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। उक्त भूमि पर शुरूआत से ही प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि आवंटन पत्रावली दिनांक 21.12.2004 में खसरा संख्या 1525 रकबा 1 बीघा उदा आ0 रूपा गुर्जर वाके ग्राम थाना तहसील हिण्डोली को आवंटित हुई थी। पटवारी मौका स्थिती रिर्पोट दिनांक 02.11.2022 को तहसीलदार हिण्डोली के आदेश कमांक भू.अ./5649/2022 दिनांक 01.11.2022 की पालना में थाना के खसरा संख्या 1525 रकबा 1 बीघा का मौका देखने पर ज्ञात हुआ की मौके पर उपस्थित व्यक्तियो तथा केलाश पुत्र उदा द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त भूमि पर बनवारी पिता शोजी लाल जाती बैरवा नि0 देवजी का थाना का कब्जा है, तथा यह कब्जा पूर्व से चला आ रहा है। अतः कब्जा नहीं होने से व आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन खारीज फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि उदा आ0 रूपा गुर्जर को आराजी खसरा संख्या 1525 रकबा 1 बीघा

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

वाके ग्राम थाना तहसील हिण्डोली का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 21.12.2004 को किया गया था। उक्त भूमि उदा की मृत्यु के बाद उसके वारीसान के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण के वकील ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा नहीं होना अवगत कराया व साथ ही यह भी अवगत कराया की उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जाये तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। पटवारी मौका स्थिती रिर्पोट के अनुसार वर्तमान में प्रार्थी का कब्जाकाश्त होना बताया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) का अवलोकन किया जिसमें यह उल्लेखित हैं कि यदि आवंटन कपट या दुव्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा। वकील अप्रार्थी की बहस से प्रथमदृष्ट्या यह जाहिर होता हैं कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा उदा आ0 रूपा गुर्जर को किया गया आवंटन खसरा संख्या 1525 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम थाना तहसील हिण्डोली दिनांक 21.12.2004 को एत्द द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतिक्रमी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर,
बून्दी